राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर– 137/2022

1. मिश्री देवी पुत्री स्व. फूलचन्द पत्नी चन्दगीराम जाति मेघवाल निवासी हाल आबाद रंवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. पार्वती देवी पुत्री स्व. फूलचन्द पत्नी गनपत प्रसाद जेवरिया जाति मेघवाल निवासी हाल आबाद रंवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. रोशनी पुत्री स्व. फूलचन्द पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी हाल आबाद मोहल्ला बाजार का डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0

........वादीगण

ब–ना–म

1. राधेश्याम पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी ढाणी पिपली तन् जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. भूमि धारक जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: **दिनांक :–20–09–2022**

वादियागण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादिया के पिता फूलचन्द पुत्र हीराराम का देहान्त दिनांक 19.12.1990 को हो चुका है तथा वादियागण की माता बनारसी देवी का देहान्त सन् 1985 में हो चुका है। वादियागण मात्र अकेली अपने पिता स्व. फूलचन्द की वारिश है अन्य कोई वारिश नहीं है। वादियागण के पिता की खातेदारी की भूमि ग्राम जसरापुर में स्थित हाल ख.नं. 2471/305 रकबा 1.30 है. भूमि स्थित है। उक्त भूमि का वर्तमान रिकार्ड देखने व नकल लेने का मालूम हुआ कि उक्त भूमि राधेश्याम पुत्र फूलचन्द के रूप में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से खातेदारी में दर्ज हो गई। राधेश्याम पुत्र फूलचन्द वादिया का भाई नहीं है। राधेश्याम को कभी भी वादियागण के माता पिता ने गोद नहीं लिया। राधेश्याम के पिता का नाम राजीलाल है। प्रतिवादी सं. 1 का नाम अन्य भूमि खाता सं. 594 में स्थित भूमि में राधेश्याम पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है तथा उसे सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में भी राधेश्याम पुत्र रामजीलाल नाम ही दर्ज रिकार्ड है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने एच.सी.एल. खेतड़ी नगर में भी नौकरी की थी जिसके रिकार्ड में भी राधेश्याम पुत्र रामजीलाल का नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ने गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गैर कानूनी ढंग से वादियागण के पिता की खातेदारी की भूमि ख.नं. 2471/305 रकबा 1.30 है. में अपना नाम दर्ज करवा लिया जो गैर कानूनी है जिसे दुरूस्त करवाकर मात्र वादियागण ही उक्त भूमि की एक मात्र अकेली ही खातेदार दर्ज होने की अधिकारणी है। हरीया पुत्र जालू उर्फ जालमा वादियागण के दादा है वादियागण हरीया के वंशज है। हरीया उर्फ हीराराम वादियागण के दादा का देहान्त दिनांक 9.11.1983 को हो जाने के बाद उनकी खातेदारी की भूमि खाता सं. 355 में दिनांक 30.04.1991 को गलत रूप से नामांतरकरण दर्ज कर दिया। वादियागण के पिता का देहान्त 19.12.1990 को हो जाने के बाद उनके पिता फूलचन्द का हिस्सा 1/5 वादियागण के दर्ज होना चाहिए था गलत रूप से राधेश्याम पुत्र फूलचन्द दर्ज कर दिया जबकि वादियागण के पिता व माता ने कोई गोदनामा राधेश्याम रामजीलाल के पक्ष में नहीं बनवाया ना ही गोद लिया। वादियागण के पिता की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

खेत ख.नं. 305 रकबा 2.61 है. में 1/2 भाग रहा है। परन्तु उक्त ख.नं. 305/1 व 305/2 बने तथा वर्तमान में उक्त भूमि के ख.नं. 2471/305 रकबा 1.30 है. बनकर आ गया जो प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है उक्त भूमि की खातेदारी वादियागण प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम जसरापुर में स्थित भूमि हाल खाता सं. 462 में स्थित भूमि हाल ख.नं. 2471/305 रकबा 1.30 है. भूमि का वादियागण को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादियागण का वाद मुताबिक वाद डिक्री कर वादियागण को ग्राम जसरापुर में स्थित भूमि हाल खाता सं. 462 में स्थित भूमि हाल ख.नं. 2471/305 रकबा 1.30 है. भूमि का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे। मुझ प्रतिवादी सं. का नाम हजफ किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे इसके लिए मैं प्रतिवादी सं. 1 सहमत हूं।

वादियागण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. 462, खाता सं. 594 ग्राम जसरापुर, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2065–2068, संवत् 2069–72, संवत् 2057–60, संवत् 2049–52, संवत् 2045–48, संवत् 2053–56, संवत् 2057–60, संवत् 2065–68, संवत् 2069–72 ग्राम जसरापुर पेश की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2055–2058 खाता सं. 337 में हरीया वल्द जालमा कौम मेघवंशी चमार सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदार हरीया फौत होने पर जरियें इंतकाल नंबर 199 दिनांक 30.4.92 से रामजीलाल मूलचन्द श्रीचन्द पि0 हरीया उर्फ हीराराम हि.ब. 3/5 राधेश्याम द.पुत्र फूलचन्द 1/5 ग्यारसी बेवा पुत्र प्रभुदयाल सुमेर सिंह पुत्र प्रभुदयाल हि.ब. 1/5 स्वीकार हुआ। भूमि गत् खसरा नंबर 30 मी. से खसरा नंबर 57 व 58 निर्मित हुए हैं। हाल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. 462 खसरा नंबर 2471/305 रकबा 1.30 है. में प्रतिवादी सं. 1 राधेश्याम पुत्र फूलचन्द दर्ज रिकार्ड है जो दुरूस्ती योग्य है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा के वाद वादियागण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 462 में दर्ज खसरा नंबर 2471/305 रकबा 1.30 है. का वादियागण को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार खसरा नंबर 2471/305 रकबा 1.30 है. भूमि से प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी हजफ की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:14 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner